



हमारा प्रयास, आपका आवास

रेरा पंजीकरण संख्या
UPRERAPRJ268476
रेरा वेबसाइट- up-rera.in

पंजीकरण पुस्तिका

सामान्य पंजीकरण 2024
के अन्तर्गत परिषद की

जागृति विहार (विस्तार)

योजना संख्या-11, मेरठ के सेक्टर-3 में

69/142 प्रकार के 69 नग

सिम्पलैक्स सेमीफिनिशड तथा

131/144 प्रकार के 60 नग डुप्लेक्स

सेमीफिनिशड भवनों का

ऑनलाइन पंजीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण
की तिथि

दि०: 15.08.24 से

15.10.24 तक

नगर/योजना का नाम:-

मेरठ/जागृति विहार (विस्तार), योजना संख्या-11

एक परिचय

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवासीय योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सभ्ररण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति क्रय करने के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिसके फलस्वरूप परिषद योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं।

परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदको के मध्य लाटरी द्वारा किया जाएगा।

परियोजना से संबंधित घोषणायें

- ❖ परियोजना स्थल : 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित जागृति विहार (विस्तार), योजना संख्या-11 जनपद मेरठ हेतु विधिवत अधिग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित।
- ❖ परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित।

विशेष आकर्षण

- ❖ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी प्रारम्भ की गयी।
- ❖ प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुई है।
- ❖ लाला लाजपत राय मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप।
- ❖ चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप।
- ❖ प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित।



हमारा प्रयास आपका आवास

रेरा पंजीकरण संख्या : **UPRERAPRJ268476**
रेरा वेबसाइट : **up-rera.in**

परियोजना की अनुमानित लागत
रु. 1960.00 लाख

परियोजना प्रारम्भ होने की
तिथि 20.05.2022

परियोजना में कब्जे की
प्रस्तावित तिथि 30.06.2026


भवनों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की संख्या	कारपेट परिया (वर्ग मी.)	मानक भवन का मूल्य (रु. लाख में)	पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग भवन का मूल्य (रु. लाख में)	कार्नाई एवं पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग भवन का मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि		आवंटन के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)				आवंटन के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)				अवशेष धनराशि (रु. लाख में)				144 मासिक किश्तों की प्रति किश्त धनराशि (रु. में)						
								सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	मानक	पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग	कार्नाई	कार्नाई एवं पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग	मानक	पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग	कार्नाई	कार्नाई एवं पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग	मानक	पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग	कार्नाई	कार्नाई एवं पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग	मानक	पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग	कार्नाई	कार्नाई एवं पाक/ ग्रीन बेल्ट फोसिंग			
1	जागृति विहार (विस्तार) योजना	69/142 प्रकार के सिमलैक्स सेमी फिनिशड भवन	69	69.00	70.46	73.98	77.51	81.03	3.52	1.76	21.14	22.19	23.25	24.31	22.90	24.04	25.19	26.33	45.80	48.27	50.73	53.20	58762.00	61931.00	61931.00	65087.00	65087.00	68256.00
2	संख्या-11 मठ	131/144 प्रकार के इन्वैक्स सेमी फिनिशड भवन।	60	131.70	82.42	86.54	90.66	94.78	4.12	2.06	24.73	25.96	27.20	28.43	26.79	28.13	29.47	30.80	53.57	56.46	59.34	62.23	68731.00	72439.00	72439.00	76134.00	76134.00	79842.00

विशेष नोट :-

- ❖ सम्पत्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अनुमानित मूल्य में वृद्धि हो सकती है।
- ❖ भवन के मूल्य पर नियमानुसार देय जी.एस.टी. का भुगतान आवंटनी को करना होगा।
- ❖ भवन के मूल्य पर नियमानुसार प्रति माह जल शुल्क का भुगतान आवंटनी को करना होगा।
- ❖ भारत ससरकार/ राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय द्वारा अध्यापित कर यथा जी.एस.टी., गृहकर, जलकर आदि व अन्य शुल्क का भुगतान आवंटनी को स्वयं करना होगा।

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ के सेक्टर-3 में 69/142 प्रकार के 69 नग सिम्पलैक्स सेमीफिनिश भवनों का ग्राउंड फ्लोर प्लान, टेरेस प्लान, साइट प्लान



DRAWING TITLE -

GROUND FLOOR

PROJECT -


HOUSE DESIGN
TYPE 69/142

SCHEME-

JAGRUTI VIHAR EXTENSION
YONA M/D/L, MEERUT

U.P. AWAS VIKAS PARISHAD MEERUT

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ के सेक्टर-3 में 131/144 प्रकार के 60 नग डुप्लेक्स सेमीफिनिशड भवनों का ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान



भवनों की विशिष्टियां

- ❖ परियोजना स्थल : 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित जागृति विहार (विस्तार), योजना संख्या-11 जनपद मेरठ हेतु विधिवत अधिग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित।
- ❖ परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित।

भवनों के निर्माण की पद्धति	लोड बियरिंग स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर	लोड बियरिंग स्ट्रक्चर।
भूकम्प रोधी निर्माण	भूकम्प रोधी प्राविधान के अन्तर्गत प्लिन्थ बैण्ड, लिन्टल बैण्ड आदि का प्राविधान।
फाउन्डेशन	फाउन्डेशन का कार्य डिजाईन के अनुसार।
चौखट	चौखट एम0एस0 आयरन।
बाहरी दरवाजे	केवल बाहरी दरवाजों में फ्लस डोर शटर्स 30 एम0एम0 मोटाई आई0एस0आई0 मार्कड।
खिड़कियां	जेड सेक्शन एवं एम0एस0 ग्रिल।
रंग-रोगन	अन्दर दीवारों तथा छत पर डिस्टैम्पर, बाहरी सतह पर एपैक्स/वैदर कोट फिनिशिंग, दरवाजों पर एनेमेल पेन्ट।
विद्युत	आन्तरिक विद्युतीकरण के लिए केवल पी0वी0सी0 कन्ड्यूट पाईप एवं एम0एस0 स्विच बाक्स।

CARPET AREA

Type of Houses	Carpet Area
69/142	69.00 sqm
131/144	131.70 sqm

प्राविधान/शर्तें:

1. भवन का कब्जा रेरा में अंकित परियोजना पूर्ण होने की तिथि तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेण्ट फॉर सेल की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। Force majeure की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुए विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश में नहीं हैं, उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।
2. भवन की टाइप डिजायन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणोंवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।
3. पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति देय होगी।

एकमुश्त भुगतान विकल्प देने पर

- ❖ आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

किश्तो में भुगतान विकल्प देने पर

- ❖ सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट फॉर सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेण्ट की schedule-c की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा, जिसमें एग्रीमेण्ट फॉर सेल के बिन्दु संख्या-1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष नोट- विक्रय हेतु प्रस्तावित भवनों के क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त कार्नर इत्यादि के भवनों की स्थिति में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दशा में वास्तविक माप के आधार पर भवनों के घोषित विक्रय मूल्य में संशोधन किया जायेगा।

भुगतान का तरीका

- 1.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- 1.2 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार, निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- 1.3 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।
- 1.4 सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फॉर सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की schedule-c की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जिसमें एग्रीमेन्ट फॉर सेल के बिन्दु संख्या-1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- 1.5 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में आवंटी द्वारा परिषद की नोटिस के बावजूद दो लगातार किश्तो का भुगतान न करने की दशा में, आवंटी तत्समय प्रभावी MCLR+1% की दर पर ब्याज अदा करेगा। परिषद की नोटिस के बावजूद यदि आवंटी द्वारा लगातार तीन किश्तो का भुगतान नहीं किया जाता है तो परिषद द्वारा आवंटन निरस्त किया जायेगा और बुकिंग धनराशि की कटौती के उपरान्त शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। इसके साथ ही अनुबन्ध निरस्त हो जायेगा।
- 1.7 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से RTGS/NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।

नोट :-

- ❖ अपरिहार्य परिस्थितियों में भवन के मूल्य में वृद्धि होती है तो 30प्र0 भूसम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016, 30प्र0 भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) नियमावली, 2016 तथा भू-सम्पदा विनियम एवं विकास) (विक्रय/पट्टा के लिये करार) नियमावली 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ पूर्णता प्रमाण पत्र के विक्रय विलेख के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत किया जाएगा। आवेदक द्वारा नियमानुसार भवन के मूल्य का भुगतान परिषद खाते में सेल डीड कराने से पूर्व schedule-c के अनुसार करना होगा।

- ❖ भवन का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- ❖ आवंटन में परिषद / शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- ❖ भवन का कब्जा दिनांक-30.06.2026 तक हस्तगत किया जायेगा। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेन्ट फॉर सेल की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. आवंटन नियम

- ❖ आरक्षण की सुविधा परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी।
- ❖ प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रॉ द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- ❖ लाटरी ड्रॉ से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें लाटरी ड्रॉ हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदनुसार परीक्षण के उपरान्त उसका निराकरण संबंधित, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रॉ की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा। उक्त के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- ❖ सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण/आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- ❖ सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रॉ के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी। लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञापित के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।
- ❖ लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रॉ के पश्चात परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथासंभव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत/ ऑनलाइन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
- ❖ जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- ❖ परिषद/शासनादेशों के अनुसार लाटरी ड्रॉ में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- ❖ प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रॉ द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किशतों पर भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रॉ से कार्यवाही की जायेगी।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।
- 3.3 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- 3.4 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहाँ आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा 30प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- 3.5 भवनों में आय सीमा पर प्रतिबन्ध नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For plots/houses/flats" पर क्लिक करेंगे।
- 4.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- 4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना की समस्त जानकारियां भली-भांति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- 4.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्य है।
- 4.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लॉटरी ड्रॉ की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।
- 4.6 अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसमें आवंटन पत्र जारी करने के 03 माह के भीतर आवंटन निरस्त करने संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत, 03 माह पश्चात आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौती करते हुये, शेष धनराशि का 50 प्रतिशत आवंटनी को निरस्तीकरण से 45 दिन में एवं शेष 50 प्रतिशत सम्पत्ति के पुर्नआवंटन अथवा 1 वर्ष में से जो भी पहले हो के अनुसार वापस कर दी जायेगी।
- 4.7 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम-2016 की शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादन किया जायेगा। बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त धनराशि जमा कराई जायेगी। आरक्षित श्रेणी में निरस्तीकरण की दशा में कटौती सामान्य आवेदक की भांति ही की जाएगी।
- 4.8 आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों को भली-भांति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

आरक्षण:

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
7	दिव्यांग व्यक्ति	2	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजेंटल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेंटल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा। दिव्यांग कोटे के अंतर्गत चयनित लाभार्थी को ही शासनादेश में प्राविधानित छूट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

श्रेणी

- ❖ कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- ❖ 30प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

6. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 6.1 असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

7. भवन का भौतिक कब्जा

- 7.1 दिनांक-30.06.2026 तक भवनों का कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 7.2 आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी। उक्त के उपरांत सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर विक्रय करार (Agreement for sale) निष्पादित / पंजीकृत कराना होगा।
- 7.3 विक्रय विलेख एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत होगा।
- 7.4 आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड के मूल्य का भुगतान परिषद खाते में सेलडीड कराने से पूर्व schedule-c के अनुसार करना होगा।
- 7.5 पूर्णता प्रमाण पत्र एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त कब्जे का प्रस्ताव प्रेषित करने के बावजूद आवंटी द्वारा 03 माह के भीतर रजिस्ट्री कराकर कब्जा न लेने पर परिषद द्वारा प्लेटेड परियोजनाओं में रु० 1 प्रति वर्गफीट प्रति माह की दर से तथा अपार्टमेन्ट में कारपेट एरिया के आधार पर रु० 2 प्रति वर्गफीट प्रति माह की दर से होल्डिंग चार्ज देय होगा।

8. तथ्यों को छिपाना

8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/ आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं/शर्तें

11.1 योजना आवासीय है। अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय हेतु किया जायेगा। आवंटी को भवन में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

11.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड के आधार पर उत्तराधिकारियों के नाम परिवर्तित किया जाएगा। यदि किसी एक के नाम के पक्ष में परिवर्तन कराया जाना है तो अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

11.3 पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी विनियम यथासंशोधित-2016 के नियम प्रभावी होंगे। परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

11.4 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।

11.5 शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

11.6 किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त को होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
होरिजेंटल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	संबंधित अधिकारी	दूरभाष सं0
1	एच0डी0एफ0सी0 बैंक गंगा नगर मवाना रोड मेरठ।	मुख्य शाखा प्रबन्धक श्री मुकुल गुप्ता	9897779559
2	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	श्री रौशन कुमार	9999649624

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं व जहां -जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार:-

आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।

सम्पत्ति:-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन से है।

पंजीकरण का दौर:-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण खोलते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य:-

30प्र0 राज्य अथवा राज्याधीन उपक्रम की सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो से है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य:-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित/आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य:-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य:-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य:-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य:-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

शपथ-पत्र

₹ 100/-के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)
समक्ष- आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....उम्र..... निवासी.....

..... शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि:-

- 1- मैं एतद्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों/शर्तों/विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
- 2- मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
- 3- जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के नाम परिषद का कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूँगा/दूँगी।
- 4- मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती.....जो रिश्ते में मेरे/मेरी.....है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/ करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामन्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमतीजो मेरे/मेरी.....है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/ करती हूँ।
- 5- मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 6- मैं आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।
- 7- मैं एतद्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिया है तो मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
होरिजेंटल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
लिंग	
स्त्री	f
पुरुष	m
अन्य	T
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW
भुगतान	
नकद	01
किश्त	02
सम्पत्ति का प्रकार	
भवन	
69/142 प्रकार	a
131/144 प्रकार	b

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें

श्री सुनील कुमार शर्मा
सम्पत्ति प्रबन्धक
मेरठ
मो0 नं0 6390900133

श्री आफताब अहमद
अधिशाली अभियंता
निर्माण खण्ड मेरठ-01
मो0 नं0 8795811679

इं0 राजीव कुमार
अधीक्षण अभियंता
मेरठ वृत्त, मेरठ
मो0 नं0 8588877002

जोनल आयुक्त
मेरठ जोन, मेरठ
मो0 नं0 8189081006

नामांकन पत्र

आवेदक का एकल फोटो
अथवा
संयुक्त रूप से पति पत्नी
आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज फोटो
(हस्ताक्षर इस प्रकार किया
जाये कि आधा फोटो के ऊपर
व आधा फार्म पर हो

नामांकन/Nomination

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर
श्री/श्रीमती जो रिश्तों में मेरे/मेरी
..... है, को मैं पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता/करती हूँ।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

पूर्ण पता

.....

.....

सम्पर्क सूत्र:-

परिषद ई-मेल

: info@upavp.com

वेबसाइट

: www.upavp.in

टोल फ्री नम्बर

: 1800-180-5333

जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं०

: 0522—2236803

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- ❖ पंजीकरण आवेदन शुल्क रु0 1000 के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल रु0 1180 ऑनलाइन जमा करना होगा।
- ❖ ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration of Plots/Houses/Flats पर क्लिक करना होगा।
- ❖ इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- ❖ आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर Apply Online लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- ❖ तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बन्धित मुख्य जानकारियाँ Basic Informations यथा-नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- ❖ उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- ❖ Submit करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Confirm करने की दशा में उसके अपने ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- ❖ उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक Submit पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- ❖ आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान अपलोड करना है। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करना अपेक्षित होगा।
- ❖ आवेदन पत्र में अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'm' एवं महिला हेतु 'f' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
- ❖ आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित “आरक्षण” नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

पंजीकरण धनराशि का भुगतान

- ❖ उपरोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-
- ☑ Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration of Plots/Houses/Flats"
- ☑ Click on concerning scheme's webpage link.
- ☑ Click 'Apply online' link & provide basic details and property.
- ☑ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
- ☑ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking / Debit / Credit Card.**
- ☑ If applicant selected 'e-challan' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
- ☑ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest Bank Branch.
- ❖ उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।



हमारा प्रयास, आपका आवास

30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

Toll Free No. 1800-180-5333

जन सुविधा केन्द्र दूरभाष-0522-2236803



UPHDBHQ



www.upavp.in